

28.6.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा में पेश हुई। प्रार्थी पक्ष की ओर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार (कोर्ट) सिणधरी उपस्थित। प्रार्थी पक्ष की ओर से निवेदन किया गया कि विप्रार्थी संख्या 10 फोट हो चुकी है एवं उनके वारिसान पूर्व में ही रिकार्ड पर होने के कारण आवेदन पत्र में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 10 का नाम आवेदनपत्र से हटवाया जावे। और शेष विप्रार्थीगण के नोटिस पूर्व में तामिल हो चुके हैं, जो बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही पारित की जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पाया कि चूंकि विप्रार्थी संख्या 10 के वारिसान पूर्व में रिकार्ड पर है और विप्रार्थी संख्या 10 फोट हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 10 का नाम आवेदन से हटाया जाता है। शेष विप्रार्थीगण की तामिली होने के उपरांत एवं पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिये जाने के बावजूद भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि आवेदन में दर्शित रकबानुसार का आमजन आने जाने हेतु रास्ते हेतु उपयोग करते है और मौके पर भी सड़क चल रही है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में किस्म बा.दोयम दर्ज है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित भूमि की किस्म बा.दोयम के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज की जावे। हमने प्रार्थी पक्ष को सुना। और पत्रावली के सलग्न राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि आवेदन में दर्शित विवादित भूमि का रकबा किस्म बा.दोयम दर्ज है। प्रस्तावित रकबा का आमजन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग मे लिया जा रहा है, और तहसीलदार सिणधरी द्वारा भी उक्त रकबे की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने की सिफारिश की गई है। एवं विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं हुए है। इससे प्रतीत होता है, कि विप्रार्थीगण को प्रस्तावित रकबे की किस्म गै.मु.रास्ता किये जाने में कोई आपर्ति नहीं है। यदि आपर्ति होती तो न्यायालय मे हाजिर होकर चाराजोही करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है। कि प्रस्तावित रकबेनुसार मौके पर रास्ता चल रहा है। ऐसी सूरत में न्यायालय को गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने में कोई आपर्ति प्रतीत नही होती है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन लोकभावना एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए ~~स्वीकार~~ स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प स्थल-अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प सिणधरी चारणान)  
पीठासीन अधिकारी-श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 63/2017

दिनांक

क्रमांक:/राजस्व/2018/

--:आदेश:-


श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांक:प.120(1)राजस्व/2016/7205-40 दिनांक 10.10.2016 प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम मोतीनगर पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2071-2074 के अनुसार निम्नांकित भूमि सरकारी खाते एवं निजी खातेदार में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशांषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प 3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, एवं 136 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व मोतीनगर पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी की निम्नांकित दर्शित निजी खातेदारी को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि	
					रकबा	किस्म
1	मगदान वल्द करनीदान कौम चारण सा.देह खातेदार	109/2	8-01	बा.दोयम	0-06	गै.मु.रास्ता
		109	38-09	बा.दोयम	1-11	गै.मु.रास्ता
2	सुर्यप्रकाश,भूषणसिंह मायादेवी,कमला इन्द्राचारण पि. नारायणदान कौम चारण सा.देह खातेदार	109/5	6-10	बा.दोयम	0-07	गै.मु.रास्ता
3	अर्जुनदान पुत्र किसनदास माली बैवा हरिदान अनिलदान पुत्र शिवदान नागल पत्नी शिवदान बाबुदान मगदान मेहरदान पि. आईदान रती पत्नी आईदान देवेन्द्र तेजेन्द्र पि. रूगदान तुलसी पत्नी रूगदान धनदान अमरदान पि. जोधदान कौम चारण सा. देह खातेदार। रहन अर्जुनदान देवेन्द्र तेजेन्द्र व तुलसी का हि. एसबीबीजे शाखा सिणधरी।	111	196-08	बा.दोयम	0-16	गै.मु.रास्ता


उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

4	हनुमानराम खेराजराम पि. लिखमाराम 1/4 साजन पुत्र भेरा 1/4 सोनाराम वल्द भेराराम 1/4 रावता पुत्र दला मानी बेवा दला 1/4 कौम जाट सा. होडू खातेदार	250/1	79-05	बा.दोयम	0-14	गै.मु.रास्ता
5	राजस्थान सरकार (समर्पण भूमि)	250/4 250/5 250/6	0-05 0-05 0-05	बा.दोयम बा.दोयम बा.दोयम	0-01 0-01 0-01	गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता
6	धनदान अर्जुनदान करणीदान पि. रूगदान पन्नालाल वल्द हेमदान मगदान पनेदान चौथदान पि. मूलदान कौम चारण सा.देह खातेदार। रहन चौथदान पन्नेदान का हि. एसबीबीजे शाखा सिणधरी	250	277-07	बा.दोयम	0-19	गै.मु.रास्ता

  
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

दिनांक

क्रमांक: / राजस्व / 2018 /  
प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।  
1. तहसीलदार सिणधरी।

  
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी